न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2019 (रसद)
पंजीयन दिनांक 26.07.2019

श्री शिवसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह राणावत आयु वयस्क, निवासी रघुनाथपुरा, दुकानदार उचित मूल्य की दुकान ईटावा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

.....विपक्षी

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 25/2019 दिनांक 10.05.2019

उपस्थितिः- 1-श्री राकेश कुमार जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट
2-प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 28.01.2020

अपीलार्थी द्वारा अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 22.01.2019 को उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना बताते हुए आदेश क्रमांक रसद/विधि/25/2019/37 दिनांक 23.01.2019 से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया। अनुज्ञापत्र के निलम्बन की अवधि विधि अन्तर्गत अधिकतम 90 दिवस है। अतः निलम्बन आदेश दिनांक 23.01.2019 से निर्धारित अवधि 90 दिवस में जांच पूर्ण नहीं होने पर दिनांक 23.04.2019 के पश्चात् अनुज्ञापत्र स्वतः बहाल योग्य था किन्तु अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अनुज्ञापत्र निलम्बन अवधि समाप्ति पर भी बहाल न कर निलम्बन अवधि समाप्ति के बाद बिना कोई अन्य जांच किए दिनांक 10.05.2019 को अनुज्ञापत्र निरस्ती का आदेश पारित कर दिया जो विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को दिनांक 23.01.2019 को कारण बताओ नोटिस दिया जिसका अपीलान्ट ने उचित एवं वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्रतिउत्तर दिया जो कि स्वीकार योग्य होते हुए भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञापत्र निरस्त करने का एफ तरफा एवं मनमाना आदेश दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 10.05.2019 खारिज फरमावें तथा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञापत्र बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली तलब की गई। जिला रसद अधिकारी की ओर से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी के उपस्थित होने एवं अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 22.01.2019 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना बताया। अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य की किसी भी सामग्री का दुरूपयोग या गबन करना नहीं पाया गया, किसी भी उपभोक्ता ने उचित मूल्य की सामग्री के वितरण में अनियमितता की शिकायत नहीं की ना ही किसी भी उपभोक्ता का बयान वक्त निरीक्षण या कथित जांच के दौरान लिये गये। कथित जांच के आधार पर दिनांक 23.01.2019 को अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया जो विधिनुरूप नहीं है। अपीलान्ट को दिनांक 23.01.2019 को कारण बताओ नोटिस दिया जिसका अपीलान्ट ने उचित एवं वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्रतिउत्तर दिया जो कि स्वीकार योग्य होते हुए भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञापत्र निरस्त करने का एफ तरफा एवं मनमाना आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी का निलम्बन आदेश दिनांक 23.01.2019 को पारित किया। अतः विधि अन्तर्गत अनुज्ञापत्र निलम्बन की अधिकतम अवधि 90 दिवस निर्धारित है इस आधार पर 90 दिवस में दिनांक 23.04.2019 तक जांच पूर्ण नहीं होने से दिनांक 23.04.2019 के पश्चात् अनुज्ञापत्र स्वतः बहाल योग्य था फिर भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अनुज्ञापत्र बहाल नहीं करके दिनांक 10.05.2019 को अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए अनुज्ञापत्र निरस्त करने का एक तरफा एवं मनमाना आदेश पारित कर दिया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एवं विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 10.05.2019 निरस्त कर अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल फरमाया जावे।

प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ईटावा का दिनांक 22.01.2019 को निरीक्षण किया गया तो वक्त निरीक्षण दुकान बंद पाई गई। उपभोक्ता पखवाडे में दुकान बन्द रखना जैसी अनियमितता राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों के उल्लंघन में आता है। अतः प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण हेतु पारित आदेश दिनांक 10.05.2019 विधि-सम्मत् होने से अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ईटावा का दिनांक 22.01.2019 को निरीक्षण करना बताया है जिसमें वक्त निरीक्षण दुकान बन्द होना, मूल्य सूची का अंकन नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करना तथा लोगों से जानकारी करने पर अन्नपूर्णा भण्डार पर कोई सामग्री नहीं दिये जाने का अंकन किया है। निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं से जानकारी करने/बयान लिये जाने की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिससे दिनांक 22.01.2019 को वक्त निरीक्षण उपभोक्ताओं के बयान लिये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 23.01.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत किया गया है किन्तु जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात् अपीलार्थी को सुनवाई का एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने की पुष्टि नहीं हो रही है।

राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की धारा 8 (2) में अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र धारी को उसका अनुज्ञापत्र/ प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्राधिकार पत्र धारी/अपीलार्थी को अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है। दिनांक 22.01.2019 के निरीक्षण रिपोर्ट में दुकान बंद पाये जाने, मूल्य सूची का अंकन नहीं करने तथा अन्नपूर्णा भण्डार पर सामग्री नहीं दिये जाने का अंकन किया है जबकि अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र निलम्बन आदेश क्रमांक 37 दिनांक 23.01.2019 में निरीक्षण के वक्त नियंत्रित वस्तुओं के वितरण में अनियमितता करने का अंकन किया है जो दोनो कथन विरोधाभासी है।

निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पत्रावली पर उपलब्ध कारण बताओ नोटिस में कार्यवाही प्रारम्भ करने के आधार में अन्य तथ्य अंकित है जबकि निलम्बन आदेश में अन्य आधार का अंकन है। उक्त भिन्न-भिन्न कारण किस आधार पर अंकित किए गए इसका आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने संबंधी पारित निर्णय दिनांक 10.05.2019 से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है निष्कर्षतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 10.05.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलान्ट/अनुज्ञाधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं पुनः समुचित जांच के पश्चात् विधि-सम्मत् आदेश पारित करे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.02.03 17:17:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: